<u>न्यायालय: अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
(U.I.D. No.RJ00720)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दीवानी (याचिका) संख्याः– 08/2025

C. I. S. No.:– 14/2025

01. कमलादेवी पत्नी हरजिन्द्रसिंह पुत्री अमरचंद, निवासी वार्ड नं0 16/23 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––याची

बनाम

01. हर आम व खास
02. रमेशलाल पुत्र अमरचंद, निवासी वार्ड नं0 16/22 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
03. विद्यादेवी पत्नी संतोख लाल पुत्री अमरचंद, निवासी बसंती चौक, प्रेमनगर, नजदीक करतार रेस्टोरेंट, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
04. सरोजबाला पत्नी श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद, निवासी वार्ड नं0 16/22 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
05. प्रियंका पुत्री श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद, निवासी वार्ड नं0 16/22 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
06. दीपक पुत्र श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद, निवासी वार्ड नं0 16/22 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––अयाचीगण

<u>याचिका अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम</u>

<u>बाबत् जारी करने उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र</u>

उपस्थितः–

01. श्री साहबराम, विद्वान अधिवक्ता– याची,
02. एक–पक्षीय कार्यवाही विरूद्ध– अयाची सं0 1 ता 3
03. श्री राजकुमार, विद्वान अधिवक्ता–अयाची सं0 4 ता 6

<u>-निर्णय-</u> दिनांक–04.04.2026

01. यह याचिका याचीया कमलादेवी की ओर से अन्तर्गत धारा 372 भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 02.06.2025 को न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 1, अनूपगढ के समक्ष पेश की गई, जहां से यह याचिका अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

02. याचिका के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याचीया व अयाचीगण के पिता/ससुर/दादा अमरचंद पुत्र राजाराम निवासी वार्ड नं0 16, अनूपगढ का देहान्त दिनांक 25.10.2013 को हो चुका है व याचीया व अयाचीगण की माता/सास/दादी गुरदेवकौर पत्नी अमरचंद का देहान्त दिनांक 02.10.2021 को हो चुका है। अमरचंद व गुरदेवकौर के देहान्त बाद याचीया, अयाची सं0 3 व 4 एवं श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद जीवित जायज वारिसान थे जिसमें से श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद का देहान्त हो चुका है। अयाची संख्या 5 व 6 मृतक श्याम सुंदर के विधिक एवं जायज वारिसान है, इनके अलावा मृतक अमरचंद का अन्य कोई वारिसान नहीं है। याचीया व अयाचीगण के पिता/ससुर/दादा अमरचंद के नाम से चक 2 पीजीएम (बी) तहसील अनूपगढ में कृषि भूमि मुरब्बा नं0 30 पत्थर सं0 282/450 का किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमांड मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अमरचंद के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि पर याचीया व अयाचीगण सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अमरचंद की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी मृत्यु पश्चात याचीया व अयाचीगण ही उसकी समस्त चल व अचल सम्पति प्राप्त करें, इसी उद्वेश्य से उन्होंने अपने समस्त दस्तावेज याचीया को अपने जीवनकाल में ही सुपुर्द कर दिये थे। अमरचंद के देहान्त पश्चात याचीया ने संबंधित विभाग में उपस्थित होकर अमरचंद के याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 वारिस होने के आधार पर अमरचंद के नाम की उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का कहा परन्तु संबंधित अधिकारी पहले तो टालमटोल करते रहे, आज से सात रोज पूर्व स्व. अमरचंद का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र न्यायालय से जारी करवाकर लिये बिना स्व. अमरचंद के नाम की उक्त कृषि भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 स्व. अमरचंद के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाम

अमरचंद के नाम की उक्त कृषि भूमि अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते हैं। अयाची संख्या 2 ता 6 याचीया के साथ उपस्थित होकर याचिका पेश करने में असमर्थ है इसलिये उन्हें अयाची संख्या 2 ता 6 को पक्षकार बनाया गया है।

03. अंत में याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर होना अभिकथित करते हुए, याचीया की याचिका स्वीकार की जाकर याचीया व अयाचीगण को स्व. अमरचंद के कानूनी वारिस घोषित कर उनके नाम से याचिका की मद संख्या 4 में दर्ज कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु याचीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

04. अयाचीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया परन्तु अयाची संख्या 3 विद्यादेवी के बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 22.08.2025 को अयाची सं0 3 विद्यादेवी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 29.09.2025 को अयाची संख्या 1 हर आम व खास के नोटिस समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) में साया करवाए जाने के तथा अयाची संख्या 2 रमेशलाल के नोटिस तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से अयाची सं0 1 हर आम व खास एवं अयाची सं0 2 रमेशलाल के खिलाफ़ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अयाची संख्या 4 ता 6 की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब याचिका पेश नहीं करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2026 को अयाची संख्या 4 ता 6 का जवाब बंद किया गया।

05. याचीया की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गईः–

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम	दिनांक
01.	ए.डब्ल्यू.01 – कमलादेवी	02.02.2026

02.	ए.डब्ल्यू.02 – मेजरसिंह	20.02.2026
03.	ए.डब्ल्यू.03 – सुखचैनसिंह	20.02.2026

दस्तावेजी साक्ष्यः–

क्र.सं.	दस्तावेज	दिनांक
01.	प्रदर्श–01– मृत्यु प्रमाण पत्र गुरदेवकौर, चित्रप्रति 1ए	02.02.2025
02.	प्रदर्श–02– मृत्यु प्रमाण पत्र अमरचंद, चित्रप्रति 2ए	02.02.2025
03.	प्रदर्श–03– आधार कार्ड कमलादेवी, चित्रप्रति 3 ए	02.02.2026
04.	प्रदर्श–04– निर्वाचन पहचान पत्र कमलादेवी, चित्रप्रति 4 ए	02.02.2026
05.	प्रदर्श–05– परिवार कार्ड अमरचंद, चित्रप्रति 5ए	02.02.2026
06.	प्रदर्श–06– जमाबंदी प्रतिलिपि	02.02.2026
07.	प्रदर्श–07– असल अखवार (दैनिक भास्कर)	02.02.2026

06. बहस अंतिम उभय पक्षी सुनी गई। अधिवक्ता याचीया ने याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए याचीया की ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाकर याचिया एवं अयाची संख्या 2 ता 6 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि अयाची संख्या 4 ता 6 के अधिवक्ता ने विधिनुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

07. उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। उक्त याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

01. आया याचीया द्वारा याचिका में उल्लिखित अनुसार याचीया एवं अयाची संख्या 2 ता 6 स्व. अमरचंद के कानूनी उत्तराधिकारी होने के आधार पर याचिका की मद संख्या 4 में दर्ज कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करवाने के अधिकारी है ?

08. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचीया की ओर से याचिका के समर्थन में कुल 03 साक्षीगण ए.डब्ल्यू. 01

कमलादेवी, ए.डब्ल्यू. 02 मेजरसिंह व ए.डब्ल्यू. 03 सुखचैनसिंह को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से ए.डब्ल्यू. 01 कमलादेवी ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिका के अभिवचनों की पूर्णतया पुष्टि करते हुए सारतः कथन किया है कि याचीया व अयाचीगण के पिता/ससुर/दादा अमरचंद का देहान्त दिनांक 25.10.2013 एवं याचीया व अयाचीगण की माता/सास/दादी गुरदेवकौर पत्नी अमरचंद का देहान्त दिनांक 02.10.2021 को हो चुका है। अमरचंद व गुरदेवकौर के देहान्त बाद याचीया, अयाची सं0 3 व 4 एवं श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद जीवित जायज वारिसान थे जिसमें से श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद का देहान्त हो चुका है। अयाची संख्या 5 व 6 मृतक श्याम सुंदर के विधिक एवं जायज वारिसान है, इनके अलावा मृतक अमरचंद का अन्य कोई वारिसान नहीं है। स्व. अमरचंद के नाम से चक 2 पीजीएम (बी) तहसील अनूपगढ में कृषि भूमि मुरब्बा नं. 30 पत्थर सं. 282/450 का किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमांड मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अमरचंद के देहान्त पश्चात याचीया ने संबंधित विभाग में उपस्थित होकर अमरचंद के याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 वारिस होने के आधार पर अमरचंद के नाम की उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का कहा परन्तु संबंधित अधिकारी ने याचिका पेश करने से सात रोज पूर्व स्व. अमरचंद का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र न्यायालय से जारी करवाकर लिये बिना उक्त कृषि भूमि स्व. अमरचंद के वारिसान के नाम से दर्ज करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। याचीया की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 7 उपरोक्त दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

09. याचीया की ओर से परीक्षित साक्षी ए.डब्ल्यू. 02 मेजरसिंह व ए.डब्ल्यू. 03 सुखचैनसिंह ने अपने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्रों में याचिका के अभिवचनों एवं याचीया ए.डब्ल्यू. 1 कमलादेवी के कथनों की पुष्टि करते हुए अमरचंद के नाम से वाक चक 2 पीजीएसम–बी तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नंबर 30 पत्थर नंबर 282/450 का किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कमांड कृषि भूमि होना, अपने जीवनकाल

में अमरचंद तथा उसके देहान्त होने के बाद उक्त भूमि याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 का संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करने बाबत कथन किये हैं।

10. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचीया ने अपनी याचिका एवं मौखिक साक्ष्य में याचीया व अयाचीगण के पिता/ससुर/दादा अमरचंद का देहान्त दिनांक 25.10.2013 एवं याचीया व अयाचीगण की माता/सास/दादी गुरदेवकौर पत्नी अमरचंद का देहान्त दिनांक 02.10.2021 को होना, अमरचंद व गुरदेवकौर के देहान्त बाद याचीया, अयाची सं0 3 व 4 एवं श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद जीवित जायज वारिसान होना जिसमें से श्याम सुंदर पुत्र अमरचंद का देहान्त होना, अयाची संख्या 5 व 6 मृतक श्याम सुंदर के विधिक एवं जायज वारिसान होना, इनके अलावा मृतक अमरचंद का अन्य कोई वारिसान नहीं होना, स्व. अमरचंद के नाम से चक 2 पीजीएम (बी) तहसील अनूपगढ में कृषि भूमि मुरब्बा नं. 30 पत्थर सं. 282/450 का किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमांड मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना, अमरचंद के देहान्त पश्चात याचीया द्वारा संबंधित विभाग में उपस्थित होकर याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 का अमरचंद का वारिस होने के आधार पर उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का कहने पर संबंधित अधिकारी द्वारा स्व. अमरचंद का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र न्यायालय से जारी करवाकर लाये बिना उक्त कृषि भूमि स्व. अमरचंद के वारिसान के नाम से दर्ज करने से स्पष्ट इंकार करना एवं याचीया एवं अयाची संख्या 2 ता 6 का अमरचंद के वारिस होने के आधार पर याचीगण के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत आनंदी (श्रीमती) द्वारा एल.आर. बनाम रामजीलाल एवं अन्य, 2022 (4) डीएनजे (राज.) 1676 में प्रतिपादित मत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''No Succession certificate of any immovable property can be issued U/S 372 of indian

Succession Act 1925. Court below has exceeded its Jurisdiction by passing the impugned order.''

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस न्यायालय को अचल सम्पति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता नहीं है। हस्तगत याचिका में याचीया व अयाची संख्या 2 ता 6 के पिता/ससुर/दादा अमरमचद के नाम से चक 2 पीजीएम (बी) तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नंबर 30 पत्थर संख्या 282/450 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर कमांड कृषि भूमि के संबंध में याचीया एवं अयाची संख्या 2 ता 6 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः याचीया कमलादेवी की ओर से प्रस्तुत याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

- :: आदेश :: -

11. **निष्कर्षतः** याचीया कमलादेवी की ओर से प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम **अस्वीकार** कर खारिज की जाती है। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

{ डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

12. आदेश आज दिनांक 04.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{ डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर